



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245301
CG-DL-E-21042023-245301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]
No. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (561).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उप नियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 17480 : 2020 पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व पॉलीथीन पुनः निचोड़ने योग्य ट्यूब — विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2023	13 अप्रैल 2023	12 अक्टूबर 2023

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./29/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, 17th April, 2023

Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (561).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 17480 : 2020 High Density Polyethylene Multi Squeezable Tube for Packaging — Specification	Amendment No. 1 April 2023	13 April 2023	12 October 2023

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./29/2023-24]